न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 64/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 घीसा पुत्र श्री मेगा खटीक जाति खटीक नि0 गंगरोप तह तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

2 श्रीमती बदाम देवी पत्नी श्री शंकर लाल, खटीक नि0 गंगरोप तह तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

2 ग्राम विकास अधिकारी पंचायत आमलीगढ पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा——— प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

निर्णय

दिनांक 26–09–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराणियात सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 2911/1 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2911/2 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2911/3 रकबा 0.1012 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि आम रास्ता से होकर विपक्षी की चारागाह आराजी नम्बर 3781 रकबा 2.2255 हैक्टयर से होकर गाडी गडार जो करीब 30 फीट चौडा है जो मौके पर विद्यमान है, से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व लेकिन आराजी नम्बर 3781 जो कि चारागाह दर्ज होने व रास्ते के रूप में दर्ज नही होने से प्रभावशाली लोगो द्वारा कब्जा कर रास्ते को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस पर प्रार्थी ने विपक्षी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु दिनांक 09/09/2021 को निवेदन किया गया, लेकिन विपक्षी द्वारा साफ तौर मना कर दिया। इस कारण से प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके की रिपोर्ट तलब फरमा, उसके आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है।. यह है कि उपरोक्त खातेदार से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 2911/1 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2911/2 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2911/3 रकबा 0.1012 हैक्टयर पर आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि आम रास्ता से होकर विपक्षी की चारागाह आराजी नम्बर 3708 रकबा 2. 2255 हैक्टयर से गाडी गडार जो करीब 30 फीट चौडा है, से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात मे जाता है, जिसमे करीब 30 फीट चौडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि भूमि के बदले भूमि देने के लिए हम सदैव तैयार है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपनी रिपोर्ट में पत्र कमांक 643 दिनांक 04.09.2024 को प्रेषित की गई जो शा0फा0 है। प्रकरण में पैराकार सरकार द्वारा दिनांक 07.04. 2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में शा0फा0 है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार हमीरगढ/पैराकार सरकार की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आराजी ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ की आराजी संख्या 2911/1 रकबा 0.1138 है, आराजी संख्या 2911/02 रकबा 0.2276है0, आराजी संख्या 2911/03 रकबा 0.1012 है0 में आने–जाने हेतु आ.न. 3781 में से रास्ता चाहते है। आराजी संख्या 3781 जो की राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा जो आराजी में से रास्ता चाहा गया है उक्त आराजी संख्या 3781 जो चारागाह दर्ज रेकार्ड होने से रास्ता दिया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

–::: आदेश :::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन अस्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र खारीज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner